International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 11, November 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

वर्तमान में सेवाकालिक भाषाध्यापकों हेतु भाषा शिक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण की उपादेयता

शुभराम, शोध छात्र,
ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर

कक्षा ऐसी जगह है जहाँ विद्यार्थी , शिक्षक और पाठ केबीच कई तरह के जटिल स्तरों पर संवाद होता है औरइस संवाद में शिक्षक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैंऔर निभाने की जरूरत भी है। जहाँ पर पेशेवरप्रशिक्षित और सामाजिक रूप से संवेदनशीलशिक्षकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। केन्द्र सरकारव राज्य सरकारों की तरफ से शिक्षकप्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अति गंभीरतापूर्ण योजनाओं पर सोचना व अमलकरना अत्य न्त महत्त्वपूर्ण है ताकि प्रत्येक शिक्षक अपनेस्तर पर ही शोध आदि के लिए भी पहल कर स के। हमेंइस तरह का ढाँचा विकसित करना होगा ताकि कक्षा मेंशिक्षक जो कुछ पढ़ाता है वह शैक्षणिक ज्ञान का सामान्यहिस्सा हो सके।[1]

भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक की भूमिका की महत्ता कीगंभीरता इसी बात से जाहिर हो जाती है कि एक तो भाषापूरी पाठ्यचर्या में विद्यमान होती है और दूसरेभाषाज्ञान , सामाजिक संबंधों को कई स्तरों पर मजबूत करता हैजिसका विशेष महत्त्व है। विश्लेषण सेयह प्राप्त होता हैं कि शिक्षक के पास तयशुदा आदेश-प्रपत्रहोता है और वह मह ज प्रतिनिधित्व प्रदान करने वालाअधिकारी है जो अपने को अंत र्विरोधों में डाले बिनाअपनी भूमिका पर पुनर्विचार नहीं कर सकतातथापि , हम

[1] रॉबर्ट्स 1995

© **Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

इस बात से सहमत औरसुविज्ञ हैं कि सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया एक स्तरपर कक्षा में ही शुरू होनी चाहिए।[2]

भाषा शिक्षक की भूमिका इस हद तक हो कि भाषापाठ्यचर्या की सीमाओं में बँधी न रहकर स्वछंद होऔर जटिल तरीकों से भाषा का प्रयोग विविध प्रकारसे सामाजिक संबंधों को और मजबूत बनाए , वस्तुतःयह बहुत महत्त्वपूर्ण है। [3] अधिकांशतः कक्षाओं में शिक्षक औरविद्यार्थियों के बीच का संवाद एक ही दिशा मेंहोता है जिसमें शिक्षक बोलता है , विद्यार्थी सुनते हैं ,विद्यार्थी समझ रहे हैं कि नहीं इससे कोई मतलब नहींहोता। बहुभाषिकता और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावादेने के लिए जिसकी वकालत हम इस आधार पत्र केमाध्यम से कर रहे हैं इसमें यह अनिवार्य करना होगा किशिक्षक विद्यार्थियों की भाषा से अवगत हों।कोई उम्मीद कर सकता है कि शिक्षक-प्रशिक्षणकार्यक्रम एक शोध-अध्ययन के अभिकल्पन में कुछमूल तथ्यों पर बल देगा जो नमूने , सामग्री, आँकड़ों केआधार पर निष्कर्ष , विश्लेषण और मात्रात्मक व गुणात्मकआँकड़ों के'ट्रायंग्लूयेशन' पर ध्यान देगा। कक्षाओं केमामले में बच्चों की केस स्टडी पर विशेष जोर कीज़रूरत है। इस तरह का प्रशिक्षण भाषा के साथ साथ सभी विषयों पर लागू होना चाहिए।

हमारी कक्षाओं में आज भी शिक्षक और पाठ्यपुस्तक केन्द्रित भाषा-शिक्षण प द्धति विद्यमान है जिसमें शिक्षकको ज्ञान का सर्वोपरि अधिकारी माना जाता है और जहाँसीखना मुख्यतः बने बनाए पैटर्न का अभ्यास , करने औररटने के माध्यम से होता है। नएशिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को भाषा की प्रकृति , संरचना व उसके प्रकार्य के प्रति, भाषासीखने वपरिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हेंऐसे तरी के खोजने की दिशा में बढ़ने को प्रेरित करेंगे जोबहुभाषीकक्षा के लिए उचित हों।

यदि हम अपने शिक्षकों को सभी भाषिकस्तरों जैसे- ध्वनि , शब्द, वाक्य, विमर्श आदि के प्रतिसंवेदनशील अवलोकन करने के लिए प्रेरित करें , तोनिस्संदेह हम उन के माध्यम से प्राप्त जानकारी के बलपर ज्यादा प्रभावशाली पाठ्यक्रम , पाठ्यपुस्तक व अन्यपाठ्यसामग्री तथा सहायक शिक्षण सामग्री विकसित करपाने में सफल हो सकते हैं।इस बात से कोई इंकार नहीं कर

[2] अग्निहोत्री1995

[3] भारतीय भाषाओं का शिक्षण, पृ. 27

सकता किशिक्षक, वह भी भारत जैसे देश में काफी सुविधावंचितमाहौल में काम करते हैं। अपने सामान्य शिक्षण कार्य केअलावा उन पर दूसरे कार्य भी लाद दिए जाते हैं जिस केलिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता।

नये अध्यापकप्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को भाषाकी प्रकृति , सरंचना और प्रकार्यों , भाषिक संप्राप्तितथा भाषिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील बनाएँगेतथा उन्हें ऐसी कार्यनीतियों से परिपूर्ण करेंगे जिससेवे बहुभाषी कक्षा में स्थिति के अनुरूप संसाधनविकसित कर सकें। बच्चों और उनके अभिभावकोंकी वास्तविक आवा ज शिक्षकों की एजेंसी केमाध्यम से सुनी जाएगी। यदि हम अपने शिक्षकोंको सभी भाषिक स्तरों जैसे ध्वनि , शब्द, वाक्य, प्रोक्ति आदि के प्रति संवेदनशील और प्रेक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं तो इसमें कोईसंदेह नहीं कि हमें अधिकाधिक प्रभावशाली औरचुनौतीपूर्ण पाठ्यपुस्तकें और शिक्षकसहायक सामग्रीतैयार करने में सक्षम होना चाहिए।[4]

स्कूलों की स्थिति भी कई जगह ऐसी दयनीय हैकि निम्नतम स्तर पर ठीक से पढ़ा पाना संभव नहीं होतातथापि , केवल भाषा अध्याप क ही है जो बच्चों को बोलने में स्वर के उतार-चढ़ाव, तीव्रता तथा धीमेपन के प्रति जागरूककर सकता है। एकमात्र वही है जो बच्चों को पद्य कीलय और गद्य की समझ के प्रति सचेतन कर सकता है।इसलिए उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकिवह स्कूल में प्रवेश कर रहे बच्चे में मौजूद विशालभाषिक व संज्ञानात्मक क्षमता के प्रति सचेत हो स के।भाषा के मामले में यह सच है कि प्रत्येक बच्चा अपनीभाषा को ठीक से बोल लेता है। एक सचेत शिक्षक कोयह ज्ञान होना चाहिए कि कैसे बच्चे की अपनी भाषा वस्कूल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बीच पुल बनायाजाए। उसे मालूम होना चाहिए कि 'मानक' की श्रेणीप्राप्त भाषा , ईश्वर की भाषा नहीं है या शून्य में नहींजन्मी है , बल्कि वह सामाजिक शक्तियों द्वारा सृजित है।किसी खास समय में , खास सामाजिक संरचना में कोईभी भाषा 'मानक भाषा ' का दर्जा पाने की क्षमता रखतीहै। एक प्रशिक्षित शिक्षक ही भाषा सीखने की प्रक्रिया मेंबच्चे द्वारा की जा रही गलतियों को उस के स्तर केहिसाब से देख पाने के काबिल हो सकेगा।

[4]भारतीय भाषाओं का शिक्षण, पृ. 28

परंपरागत रूप से प्रशिक्षित भाषा शिक्षक बोलने के प्रशिक्षण को, भाषा के सहभागी और अभिव्यक्तिमूलक कौशल पर जोर देने के बजाय शुद्धता से जोड़ता है। इसीलिए कक्षा में बोलने को हमारी व्यवस्था में नकारात्मक मूल्य समझा जाता है और शिक्षक की काफी ऊर्जा बच्चों को शांत कराने या उनके उच्चारण को ठीक करने में चली जाती है। अगर शिक्षक बच्चे के बोलने को बकवास के बदले संसाधन के तौर पर देखे तो यह संभावना बढ़ जाएगी कि विरोध और नियंत्रण का दुश्चक्र बदल कर अभिव्यक्ति और प्रत्युत्तर का चक्र बन जाए। इस संबंध में विस्तृत ज्ञान उपलब्ध है कि कैसे बातचीत को आधार सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाषा शिक्षकों का इससे परिचय करवाना वर्तमान में अत्यन्त आवश्यक हो गया है। पाठ्यपुस्तक और शिक्षक मार्गदर्शिकाएँ तैयार करने वालों को शिक्षकों के लिए इस तरह के निर्देश लिखने चाहिए कि किस प्रकार विषयवस्तु को बच्चों की छोटे समूह में चर्चा द्वारा और ऐसी गतिविधियों के द्वारा आगे प्रवर्तन किया जाए जो बच्चों में तुलना और विपरीतता, आश्चर्य और स्मरण, अटकल और चुनौती तथा मूल्यांकन और पहचान की क्षमता का विकास करे। सुनने के क्रम में , इसी प्रकार गतिविधियों की योजना तैयार कर पाठ्यपुस्तकों और मार्गदर्शिकाओं में उनका समावेश कर महत्वपूर्ण कौशलों और मूल्यों के विकास में काफी कुछ किया जा सकता है।

इसके अंतर्गत ध्यान देने की क्षमता, अन्य व्यक्तियों की बात को महत्व देना और जो बोला गया उसका अर्थ-निर्धारण, मुक्त अभिव्यक्ति और कही गई बात पर लचीली परिकल्पना शामिल हैं। ठीक इसी प्रकार, बातचीत की तरह सुनना भी कई जटिल कौशलों का जाल है। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों में लोककथाएँ और कहानी सुनाना , सामुदायिक गायन और नाटक आते हैं। कहानी सुनाना न केवल शालापूर्व शिक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि वह बाद में भी महत्वपूर्ण बना रहता है। कथात्मक विमर्श होने के कारण, मौखिक रूप से कही गई कहानियाँ तार्किक समझ का आधार तैयार करती हैं , साथ ही, ये हमारी कल्पना शीलता को समृद्ध बनाती हैं और अपने जीवन से अलग परिस्थितियों में भागीदारी की क्षमता का विकास भी करती हैं। कल्पना शीलता और रहस्यात्मकता का बच्चे के विकास में बड़ा योगदान होता है।

भाषाशिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का भी विकास संगीत की मदद से किया जाना चाहिए, जिसमें लोक, शास्त्रीय और लोकप्रिय सभी रचनाएँ शामिल हों। लोकगीतों

और संगीत को भा षा की पाठ्यपुस्तकों में भी स्थान मिलना चाहिए तथा उनको अभ्यास और गतिविधियों की मदद से विकसित किया जाना चाहिए। जबकि पठन को भा षाशिक्षण का महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है , स्कूली पाठ्यक्रम सूचनाओं और रटंत पाठों से इतने भरे होते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने का आनंद कहीं दूर छूट ही जाता है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आव श्यकता है , और शिक्षकों को इस संस्कृति का हिस्सा बनकर स्वयं उदाहरण पे श करना चाहिए। इसके लिए स्कूल और सामुदायिक स्तर पर पुस्तकालयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह मान्यता कि कथाउपन्यास पढ़ना समय नष्ट करना है पठन को हतोत्साहित करने का बड़ा कारण है। सभी स्कूली वि षयों और स्कूल के सभी स्तरों पर पूरक पठन सामग्री का विकास और उनकी आपूर्ति की तत्काल आव श्यकता है।

इस प्रकार की काफी सामग्री , बाजार में उपलब्ध है यद्यपि उनकी गुणवत्ता में काफी अंतर है, परन्तु उनका कक्षा में पठनपाठन के दौरान उपयोग किया जा सकता है। कक्षा में व्यवस्थित रूप से ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाए तो भाषा के शिक्षण में विस्तार होगा। शिक्षक प्र शिक्षण कार्यक्रमों में भाषा शिक्षकों को ऐसी सामग्री से परिचित कराए जाने की आव श्यकता है और उन्हें ऐसे मानदंड बताए जाने की जरूरत है ताकि वे प्रभावी ढंग से पठन सामग्री का चुनाव और उपयोग कर सकें। शिक्षकों का ज़ोर इस पर होता है कि बच्चे सही तरीके से लिखें। लिखने के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ठीक जैसे समय से पहले सही उच्चारण का बोझ , बच्चे के खुलकर अपनी बोली में बात करने की क्षमता को कुण्ठित करता है, उसी तरह म शीनी रूप से शुद्ध लिखने की मांग विचारों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनती है। भाषा शिक्षकों को इस रूप में प्र शिक्षित किए जाने की आव श्यकता है कि वे लेखन को एक कला की तरह समझें , न कि कार्यालयी कौ शल की तरह। आरंभिक व र्षों में , लिखने की क्षमता का विकास , बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। स्कूल में माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर नोट तैयार करने को कौ शल विकास के प्र शिक्षण के तौर पर देखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान में माध्यमिक स्तरीय भाषाध्यापकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नितान्त आवश्यकता है। भाषाविद् समय समय पर भाषा में नवाचार को सम्मिलित करते रहते है जिसका परिचय प्रत्येक

भाषा शिक्षक के लिए प्रासंगिक है। जिससे वह अपने छात्रों को कक्षाकक्ष में भाषा के नये नये रूपों से परिचित करवा सकेगा।

सन्दर्भ

1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 2010.
2. भारतीय भाषाओं का शिक्षण, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली,2009.
3. दसवर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 1975.
4. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा,एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 2010.
5. पाठ्यचर्या बदलाव के लिए व्यवस्थागत सुधार, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली,2009.
6. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 2000.
7. National Curriculum for Elementary and Secondary Education A Framework, NCERT, NEW DELHI, 1988.